



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. अवन्तिका शुक्ला

छात्रावास अधीक्षक: सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास

मोबा.नं. 8600553082/07152-230097

क्रमांक : 30/2017/वाई.नोटिस/2017

दिनांक : 31/03/17

आवश्यक सूचना

छात्रावास की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रावास के कक्षों में खाना पकाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। छात्रावास के किसी भी कमरे में गैस, इंडक्शन, प्रेस, चूल्हा, हीटर या बिजली के किसी भी उपकरण का प्रयोग वर्जित है। यदि किसी कक्ष में निरीक्षण के दौरान हीटर, गैस सिलेन्डर या अन्य कोई उपकरण पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जायेगा व उस छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

डॉ. अवन्तिका शुक्ला

छात्रावास अधीक्षक : सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास